

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8591 No. 859]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2016/अग्रहायण 25, 1938

NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 16, 2016/AGRAHAYANA 25, 1938

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 14 दिसम्बर. 2016

सा.का.नि. 1142(अ).—केंद्रीय सरकार, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009, के नियम 7, के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (iv) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित समितियों और आयोगों में नियुक्त किए गए संसद सदस्यों को अनुज्ञेय किए जा सकने वाले ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे।"

[सं. एच-11020/03/2016-आरडब्ल्यू]

राजित पुनहानी, महानिदेशक (श्रम कल्याण), संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक 118(अ), तारीख 24 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसुचना संख्यांक 1878(अ), तारीख 3 अगस्त, 2009 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया था।

5781 GI/2016 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2016

- **G.S.R. 1142(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (33 of 2008), the Central Government hereby makes the following amendment in the Unorganised Workers' Social Security Rules, 2009, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Unorganised Workers' Social Security (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Unorganised Workers' Social Security Rules, 2009, in rule 7, after sub-rule (2) the following provision shall be inserted, namely:-

"Provided that a member nominated under sub-clause (iv) of clause (c) of sub-section (2) of Section 5 of the Act shall be entitled to such travelling and daily allowances as may be admissible to them as Member of Parliament appointed in Committees and Commissions set up by the Central Government."

[No. H-11020/03/2016-RW]

RAJIT PUNHANI, Director-General (Labour Welfare), Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide. notification number G.S.R. 118(E), dated the 24th February, 2009 and subsequently amended vide notification number S.O. 1878(E), dated the 3rd August, 2009.